

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-पि०व०/स्था०-10-22/2017-

पटना, दिनांक-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-674, दिनांक-27.02.2019 द्वारा श्री अमित कुमार सिन्हा (गृह जिला-नवादा), प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में की गयी थी। सम्प्रति विभागीय अधिसूचना सं०-985, दिनांक-27.06.2026 द्वारा कुल-06 अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों का पदस्थापन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में किया गया है।

2-उक्त के आलोक में श्री अमित कुमार सिन्हा की प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त की जाती है। साथ ही यह निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब अपने पैतृक विभाग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना) में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विवेक कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-पि०व०/स्था०-10-22/2017-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

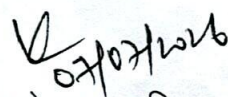
ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-पि०व०/स्था०-10-22/2017- 1120.

पटना, दिनांक- 07/07/2026

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।